राजस्व अपील संख्या 560/2022

अनवान

हरि सिंह बनाम राज्य

दिनांक 17–10–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉं, जिला जोधपुर के द्वारा प्रकरण कमांक/कोर्ट/2021/739 निर्णय दिनांक 01.11.2021 सरकार बनाम जोधाराम वगैराह के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.11.2021 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉं, जिला जोधपुर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 01.11.2021 के कम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार, ओसिया उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे मौका जॉच करे, मौका फर्द तथा मौका नक्शा तैयार करे। तत्पश्चात उभय पक्षकारान की सुनवाई करते हुए प्रकरण का निस्तारण करें। यदि आवश्यक हो तो उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉं पुनः निर्णय पारित करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर